न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05/2019

हेमन्त कुमार शर्मा माधव विहार, सरकारी स्कूल के पास शोभागपुरा उदयपुर
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 4.4..2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–
ग्राम गणेशपुरा तन बागड़ी के आराजी खसरा नम्बर 141/10 की जमाबन्दी वर्ष 2062–65 में की गई टिप्पणी को जमाबन्दी वर्ष 2066–69 व 2070–73 से निरस्त होने बाबत
उक्त खसरा नम्बर पर एक वाद सं0 5299/2003 राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 17–6–2004 की यथास्थिति रखते के आदेश हुए थे परन्तु तहसीलदार मालपुरा द्वारा उक्त आराजी की जमाबन्दी में उक्त टिप्पणी जमाबन्दी 2066–69 एंव 2070–73 नहीं दी गई है, यह नकल http://apnakhata.raj.nic.in/nform13Column.aspx से ली गई है। इससे यह संशय पेदा होता है कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश उक्त संशोधन किया गया है। कृपया संशोधन हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा/उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 183 दिनांक 7–3–2019 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा ने उक्त पत्र व उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के पत्र कमांक 799–800 दिनांक 22–3–2019 को रेफरेन्स देते हुए जवाब प्रेषित किया है जिसमें अवगत कराया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 2081 दिनांक 4–4–2019 के द्वारा सूचना भिजवादी गई है जिसकी प्रति संलग्न है। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवादी गई है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner